न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1131 सन 2020

अनवान :–

1. विकास पुत्र श्योपतराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र पुत्र श्योपतराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. पारस पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. तारावती पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. मायादेवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/2/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 61/57 की कुल 3.5410हैक प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.5410हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 204/197 की कुल 9.9910हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वाद संख्या 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारिवारिक शान्ति बनाये रखने एव काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवार कर लिया और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीगण एवं प्रतिवादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि को वादीगण एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज जगमाल वल्द नन्दराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने पारिवारिक शान्ति एवं काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 61/57 की कुल 3.5410हैक प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.5410हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 204/197 की कुल 9.9910हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वाद संख्या 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जगमाल पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारिवारिक शान्ति बनाये रखने एव काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवार कर लिया और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 61/57 की कुल 3.5410हैक प्रतिवादी संख्या 2 व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.5410हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 204/197 की कुल 9.9910हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वाद संख्या 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि जगमाल वल्द नन्दराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जगमाल वल्द

Scanned with CamScanner

नन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा जगमाल वल्द नन्दराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है ।

वादी का कथन है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवार की शान्ति बनाये रखने एव काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व किरार्ड में दर्ज की जाती है तो ऐतराज नही है व ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 61/57 की कुल 3.5410हैक के वादीगण 1 ,2 दोनो बहिव के मुश्तरका खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.5410हैक भूमि के वादीगण 1 ,2 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार व रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 91/87 के खसरा न0 360/2 की 3.6310हैक व खसरा न0 360/3 की 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला तथा शेष खसरा न0 228/1 की 2.2550हैक व खसरा न0 307/2 की 9.7060हैक व खसरा न0 307/3 की 1.9920हैक कुल 14.253हैक भूमि में वादी न0 3 अकेला 5.8844हैक तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 7.000हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1.3686हैक भूमि की खातेदार काश्तकार एव रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 204/197 की कुल 9.9910हैक में से खसरा न0 48 की 0.1520हैक खसरा न0 49 की 6.3360हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो बहिव तथा खसरा न0 230 की 1.9850हैक व खसरा न0 65 की 1.5180हव भूमि में वादी सख्या 3 अकेला 5/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/12 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विकास पुत्र श्योपतराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुरेन्द्र पुत्र श्योपतराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. पारस पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. श्योपतराम पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. तारावती पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. मायादेवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1131 सन 2020 निर्णय दिनांक– 15/2/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 61/57 की कुल 3.5410हैक के वादीगण 1 ,2 दोनो बहिब के मुश्तरका खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 203/196 की कुल 3.5410हैक भूमि के वादीगण 1 ,2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार व रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 91/87 के खसरा न0 360/2 की 3.6310हैक व खसरा न0 360/3 की 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला तथा शेष खसरा न0 228/1 की 2.2550हैक व खसरा न0 307/2 की 9.7060हैक व खसरा न0 307/3 की 1.9920हैक कुल 14.253हैक भूमि में वादी न0 3 अकेला 5.8844हैक तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 7.000हैक व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1.3686हैक भूमि की खातेदार काश्तकार एव रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 204/197 की कुल 9.9910हैक में से खसरा न0 48 की 0.1520हैक खसरा न0 49 की 6.3360हैक भूमि वादीगण सख्या 1 ,2 दोनो बहिब तथा खसरा न0 230 की 1.9850हैक व खसरा न0 65 की 1.5180हव भूमि में वादी सख्या 3 अकेला 5/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/12 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner